

फर्द अहकाम

आयालय उपखण्ड अधिकारी जयवारासगढ (जयपुर)
रामजीलाल बनाम सुखीला वर्मा
 क्रमा संख्या/वर्ष : २१५ / २०१९

क्र.सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	४२२	<p>पत्रावली पेश हुई। पक्षी व उसके वकील को बार- बार तीन बार आवाजे लगावाई गई किन्तु उपस्थित नहीं। न्यायालय का समय व्यतीत होने को ही इसीलिए पक्षी के जर्जम पत्र को अदम हाजरी व अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेरल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद प्रति वकील उपस्थित हो।</p>	

